पत्रांक–06/अल्प० वि० 16–01/2026......47

बिहार सरकार

<u>शिक्षा विभाग</u>

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना दिनांक......17/6/2026

विषयः– **राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को वित्तीय वर्ष 2026–27 के वेतनादि एवं बकाये वेतनादि के भुगतान हेतु सहायक अनुदान मद में कुल 28,56,98,000/– (अठाइस करोड़ छप्पन लाख अंठानवे हजार) रूपये की स्वीकृति एवं तत्काल 8,91,31,399/– (आठ करोड़ इक्यानवे लाख एकतीस हजार तीन सौ निन्यानवे) रूपये की विमुक्ति के संबंध में।**

''अनौपचारिक रूप से परामर्शित''

आदेश :– **स्वीकृत।**

द्वारा :– वित्त विभाग।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को वित्तीय वर्ष 2026–27 के वेतनादि एवं बकाये वेतनादि के भुगतान हेतु सहायक अनुदान मद में कुल 28,56,98,000/– (अठाइस करोड़ छप्पन लाख अंठानवे हजार) रूपये की स्वीकृति एवं तत्काल 8,91,31,399/– (आठ करोड़ इक्यानवे लाख एकतीस हजार तीन सौ निन्यानवे) रूपये की विमुक्ति प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2026–27 में माँग संख्या–21 मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01–प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष 0001–गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, विपत्र कोड संख्या–21–2202011020001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–0001–31–04–सहायक अनुदान वेतन में उपबन्धित राशि 28,56,98,000/– (अठाइस करोड़ छप्पन लाख अंठानवे हजार) रूपये से किया जायेगा।

3. (क) स्वीकृत राशि अंतर्गत विमुक्त की जाने वाले राशि का जिलावार आवंटनादेश (संलग्न विवरणी अथवा संबंधित जिला द्वारा बजट शाखा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराये गये अधियाचना) उप निदेशक (प्रशासन)–सह–बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जाएगा। उक्त आवंटनादेश के अनुसार राशि की निकासी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना) द्वारा की जायेगी, जो कण्डिका–4 में वर्णित शर्तों का पालन करेंगे। संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना) सभी औपचारिकताएँ पूरी कर जिले में अवस्थित गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के अंतर्गत स्वीकृत पद पर विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से कोषागार से निकासी कर बैंक खाता के माध्यम से संबंधित कर्मियों के पक्ष में सीधे भुगतान करेंगे।

(ख) उक्त राशि का व्यय प्राथमिक शिक्षा के निस्तराधीन होगा।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं विभिन्न परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

5. जिलों के द्वारा संबंधितों को भुगतान के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र फार्म BTC-42 A में विद्यालयवार दी गयी अनुदान की राशि की सूची सहित संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना) के द्वारा विधिवत् रूप से महालेखाकार, बिहार, पटना को समर्पित किया जाएगा।

6. इस राशि से यदि आवश्यक हो तो बकाये वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है।

7. इस राशि का विचलन अन्य किसी मद में नहीं किया जाएगा। संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना के द्वारा सम्यक जाँचोंपरांत ही राशि का भुगतान किया जायेगा। राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार के अनियमितता की स्थिति में संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना के साथ–साथ संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक जिम्मेवार होंगे।

8. इस आवंटन की निकासी इस शर्त्त के साथ की जाय की इस मद में विगत 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेशों के विरूद्ध लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का सामंजन महालेखाकार, बिहार, पटना के द्वारा कर दिया गया हो।

9. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. प्रस्ताव पर वित्त विभाग, बिहार की सहमति संचिका संख्या–06/अल्प० वि० 16–01/2026 के नोट पृष्ठ 13/टि० पर प्राप्त हैं।

11. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–06/अल्प० वि० 16–01/2026 के नोट पृष्ठ 09/टि० पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 06/अल्प० वि० 16–01/2026 ....67.... पटना, दिनांक : 17/6/2026

प्रतिलिपि :–प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (दो प्रति में)/आय–व्यय शाखा वित्त (अंकेक्षण), बिहार, पटना/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/बजट शाखा, प्रशाखा–5, शिक्षा विभाग/लेखा शाखा–21, शिक्षा विभाग/प्रशाखा–6, प्रा०शि०/AC/DC कोषांग, प्राथमिक शिक्षा/संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/संबंधित सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार/संबंधित सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), बिहार एवं आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.6.26

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों के वेतनादि/बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु आवंटित की जाने वाली राशि की जिलावार विवरणी।

क्र० सं०	जिला	वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला कार्यालय द्वारा अधियाचित राशि	तत्काल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	मुंगेर	1,87,52,000	46,88,000	
2	पटना	7,71,22,428	1,92,80,607	
3	पश्चिम चम्पारण	6,53,68,406	1,63,42,102	
4	नालन्दा	1,61,94,048	40,48,512	
5	बाँका	61,00,572	15,25,143	
6	सुपौल	1,15,186	28,797	
7	सारण	4,10,000	1,02,500	
8	खगड़िया	2,13,53,753	53,38,438	
9	पूर्णिया	97,33,834	24,33,459	
10	गोपालगंज	2,22,53,468	55,63,367	
11	भोजपुर (आरा)	1,19,72,701	29,93,175	
12	भागलपुर	2,85,67,056	71,41,764	
13	मुजफ्फरपुर	19,00,000	4,75,000	
14	दरभंगा	5,76,84,904	1,44,21,226	
15	गया	1,89,97,238	47,49,310	
	कुलः–	**35,65,25,594**	**8,91,31,399**	

17.6.26

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

E:\Dharmendra Sec 06\All Sanction\Alpsankhyak 03-04-2025.docx